पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 210312, 213072 फैक्स 424329, 213073

www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. /प्रशा./वि.प./बैठक/16 बिलासपुर, दिनाक /09/2016

पंजीकृत डाक

प्रति,

1. **डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी**
   आचार्य
   स्कूल ऑफ एजुकेशन
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
   मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

2. **डॉ. एल. पी. पटैरिया**
   आचार्य
   प्रबंध अध्ययन विभाग
   गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
   बिलासपुर (छ.ग)

3. **प्रो. एस. के. जाधव**
   प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी विभाग)
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
   रायपुर (छ.ग.)

4. **प्रो तीर्थेश्वर सिंह**
   आचार्य एवं अध्यक्ष,
   अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
   इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
   जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

5. **डॉ. आर. प्रसाद**
   प्राध्यापक
   अर्थशास्त्र अध्ययन विभाग
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
   रायपुर (छ.ग.)

6. **डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल**
   प्राध्यापक
   इतिहास अध्ययन विभाग
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
   रायपुर (छ.ग.)

7. **श्री रमेश नैयर**
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)

8. **डॉ. बी. डी. मिश्रा**
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

9. **आयुक्त**
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, खंड सी
नया **रायपुर** (छ.ग.)

10. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह**
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

विषय :– विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 20 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।

महोदय / महोदया,

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 20 वीं बैठक दिनांक 02 / 09 / 2016 के कार्यवाही विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

-सही-
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पृ. क्रं. 4209(2)/प्रशा. / वि.प. / बैठक / 16 बिलासपुर, दिनाक 07 / 09 / 2016
प्रतिलिपि –

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. संबंधित विभाग प्रमुख अकादमी / परीक्षा / गोपनीय एवं स्थापना को कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन शीध्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. नस्ती हेतु।

कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही विवरण

विद्यापरिषद् की 20 वीं बैठक
दिनांक 02 / 09 / 2016
समय : 12:00 बजे पूर्वान्ह
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 20 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 20 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 02/09/2016 को पूर्वानह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

2. **डॉ. श्रीमती विभा जोशी** – सदस्य
आचार्य
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गाधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

3. **डॉ. ललित प्रकाश पटैरिया** – सदस्य
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

4. **प्रो तीर्थेश्वर सिंह** – सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

5. **प्रो. एस. के. जाधव** – सदस्य
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

6. **डॉ. आर. प्रसाद** – सदस्य
प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

7. **श्री रमेश नैयर** – सदस्य
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)

8. **डॉ. बी. डी. मिश्रा** – सदस्य
सह आचार्य
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

9. **डॉ. श्रीमती बीना सिह** – सदस्य
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
(शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ, बिलासपुर

10. **डॉ. राजकुमार सचदेव** – सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. **आयुक्त** – सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

2. **डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल** – सदस्य
प्राध्यापक
इतिहास अध्ययन विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

विद्या परिषद की बैठक हेतु निर्धारित समय में गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित की गई तथा आधा घंटा के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई।

सर्वप्रथम् कुलपति जी के द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न लिखित प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये –

प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 19 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय विद्या परिषद् द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 विश्वविद्यालय कार्यशाला / संगोष्ठी / सेमीनार / शोध कार्य अनुदान नियम, 2016 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा चर्चा उपरांत निम्न संशोधनों सहित विश्वविद्यालय कार्यशाला / संगोष्ठी / सेमीनार / शोध कार्य अनुदान नियम, 2016 का अनुमोदित किया–

1. नियम की कंडिका 04 (क) (a) में ''कुलपति'' के स्थान पर ''कुलपति द्वारा नामित अध्यक्ष'' प्रतिस्थापित किया जाये।
2. कंडिका 04 (क) (b) में ''कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक'' के स्थान पर ''कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक सदस्य'' प्रतिस्थापित किया जाये।
3. कंडिका 04 (क़) में (c) ''वित्त अधिकारी सदस्य'' जोड़ा जाये।
4. नियम की कंडिका 04 (ख) (ख.1.1) में ''कुलपति'' के स्थान पर ''कुलपति द्वारा नामित अध्यक्ष'' प्रतिस्थापित किया जाये।
5. नियम की कंडिका 04 (ख) (ख.1.2) में '' कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक'' के स्थान पर '' कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक सदस्य'' प्रतिस्थापित किया जाये।
6. कंडिका 04 (ख) (ख.1.4) ''वित्त अधिकारी सदस्य'' जोड़ा जाये।
7. नियम की कंडिका 04 (ख)(ख.4) में निम्न वाक्य प्रतिस्थापित किया जाय– ''शोध समाप्ति के पश्चात् प्रतिवेदन जमा करने के पूर्व शोधकर्त्ता को Pre Submission Seminar देना होगा तथा सेमीनार में विषय–विशेषज्ञ के सुझाव के अनुरूप सुधार कर प्रतिवेदन जमा किया जा सकेगा। प्रतिवेदन का मूल्यांकन विषय–विशेषज्ञ के द्वारा किया जायेगा, जो यह रिपोर्ट देगा कि Pre Submission Seminar में दिये गये सुझाव को शोधकर्त्ता ने अपने शोध रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया है। विशेषज्ञ को मूल्यांकन कार्य हेतु रू. 2,000 / – मानदेय देय होगा।''

प्रस्ताव क्रं. 3 परीक्षा संबंधी अध्यादेशों में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा अध्यादेश क्रमांक 03, 10, 11, 12, 14, 15, 32 एवं 40 में प्रस्तावित संशोधन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन निम्न संशोधन सहित किया गया।

अध्यादेश में "Scheme of assignment test will be decided by the Academic Council of the University" के स्थान पर " Scheme of assignment test will be decided by the Academic Council of the University from time to time" जोड़ा जाये।

प्रस्ताव क्रं. 4 फीड बैक सेमीनार के निष्कर्ष एवं तदनुसार परीक्षा पद्वति के निर्धारण पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद के द्वारा प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा उपरांत निम्न निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र 2016–17 में –

1. TMA के लिये "**सत्रीय परीक्षा**" के स्थान पर "**सत्रीय कार्य प्रस्तुतीकरण**" प्रयोग में लाया जाये तथा इसे पूर्व की भांति समय–सारणी के अनुसार पूरा कराया जाये।

2. सत्रांत परीक्षा के लिये प्रस्तावित माड्यूल 03 (तीन) का अनुमोदन किया गया तथा प्रश्न–पत्र निर्माण (हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद सहित) हेतु प्रति प्रश्न रू. 50/– निर्धारित करने की संस्तुतति प्रदान की गयी।

3. ऋणात्मक मूल्यांकन स्थगित करते हुये सत्रांत जुन–जुलाई की मुख्य परीक्षा 2015–16 के परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया।

4. परन्तु यह भी निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न–पत्र एवं डिप्लोमा के कुछ पाठ्यक्रमों में **T.E.E.** परीक्षा को वस्तुनिष्ठ पद्वति पर ही लिया जाये।

प्रस्ताव क्रं. 5 विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह 2016–17 पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 21 दिसम्बर को अध्यादेश क्रमांक 30 की कंडिका 2 के प्रावधानानुसार सामान्य दीक्षांत समारोह का आयोजन पंडित सुन्दरलाल शर्मा जी के जन्मदिवस पर 21

दिसम्बर को किया जायेगा। अध्यादेश में तदनुसार संशोधन हेतु आगामी विद्यापरिषद् की बैठक में प्रस्ताव लाया जाये। इस वर्ष के लिये इसी निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जाये। कुलपति को अधिकृत किया गया कि दीक्षांत भाषण हेतु उपयुक्त व्यक्ति से चर्चा कर ले।

प्रस्ताव क्रं. 6 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों से प्राप्त रिसर्च प्रस्तावों पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् से विश्वविद्यालय कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोध कार्य अनुदान नियम, 2016 के पारित होने के पश्चात् कुलपति नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर सकेंगें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव क्रं. 7 स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के सत्रीय एवं सत्रांत परीक्षा सहित प्रायोगिक के न्यूनतम उत्तीर्णांक पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव

2.9.16
(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष